

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)


विष्णु पिता जगदीश ब्रह्मण (शर्मा) निवासी अमरवासी

बनाम

विष्णु प्रकाश पिता आणदीलाल महाजन वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 354/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
17.05.2023	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बरदपुरा पटवार हल्का अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 98, 99 कुल किता 07 रकबा 2.7437 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं। अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बरदपुरा पटवार हल्का अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 98, 99 कुल किता 07 रकबा 2.7437 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक/रीडर/2023/354/2023


दिनांक :-17.05.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 354/23 अनवान विष्णु पिता जगदीश ब्राह्मण निवासी अमरवासी तह. जहाजपुर  
बनाम विष्णु प्रकाश जिन्दल पिता आणदीलाल महाजन निवासी. देवली, जगदीश पिता  
भुवाना, दिलराज पिता रतना, हंशाराज पिता हरचन्द्र, रामदेव पिता ग्यारसा, बंशीलाल  
पिता रामचन्द्र, प्रहलाद पिता सूरजमल, सोजी पिता सोमा, रामकुवार पिता सोराम मीणा,  
कैलाश चन्द्र पिता कल्याण मीणा, करतान (कालू) पिता जगदीश मीणा, रामचन्द्र पिता  
भूरा मीणा, भुवाना पिता भूरा मीणा, दाखा बाई पुत्री नाथू मीणा मोती पिता भज्जा मीणा  
रामनारायण पिता गेखा मीणा, शरमा सिंह बलाई पिता कालू बलाई, चेतनप्रकाश पिता  
कालू बलाई सूसा पिता हजारी बलाई, सोजी पिता हजारी बलाई, रामस्वरूप पिता  
कजोड सुथार निवासीयान बरदपुरा तहसील जहाजपुर जिला- भीलवाडा राजस्थान  
पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम बरदपुरा पटवार हल्का अमरवासी  
तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 98, 99  
कुल किता 07 रकबा 2.7437 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु  
अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2500 रु. तय  
किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे।  
पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में  
पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)